S/P

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-917/JH/19/2023-SSW** दिनांक: 08/06/2023

श्रीमती आर. रॉनीटा
उपायुक्त,जिला -सिमडेगा
जिला -सिमडेगा-835223 (झारखंड)
(Email dc-sim@nic.in)
(Tel. No: 06525225101)

विषय: **जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पंचायत सेवक पद से जबरन निष्कासित करने के संबंध में :- श्री देवकु भगत, मोहल्ला + डाकघर - ओलमुंडा, थाना - सिसई, जिला - गुमला, झारखंड का दिनांक 10.05.2023 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Devku Bhagat से दिनांक 09.05.2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्री देवकु भगत,
   मोहल्ला + डाकघर - ओलमुंडा,
   थाना - सिसई, जिला - गुमला-835324 (झारखंड)
   मोब न. 9608904778
2. NIC, NCST (please upload on the website)